

417

18.95
24/9/01

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ 12(82)नविवि/2000

जयपुर दिनांक 15/9/01

अधिसूचना

नगर विकास न्यासों एवं पञ्चायतों के मध्य प्रचलित विवादों के निस्तारण के लिए गठित समझौता समिति की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25.7.01 का राज्य सरकार एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करती है।

आज्ञा से,

(सी.एस. बेनीवाल) 107
शासन उप सचिव

क्रमांक: एफ 12 (82)नविवि/2000

जयपुर दिनांक 15/9/01

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन करवाकर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का क्रम करावे।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. मुख्य नगर निर्माजक, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष/सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान।
7. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(276)